राजस्थान सरकार

नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर

क्रमांक: एफ 55 (4) पीए/एसई/डीएलबी/10/व.जल पुनर्भ./2081-2277 दिनांक : 17/05/10

1. आयुक्त,
   राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. आयुक्त,
   जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण,
   जयपुर/जोधपुर।
3. सचिव,
   नगर विकास न्यास,
   समस्त राजस्थान।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/
   आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
   नगर निगम/परिषद/पालिकायें,
   समस्त राजस्थान।

D.No. 9801 /PS/Pr Sec
WR-PHED-IGNB-GWD/2010
Dated 21.5.10

आदेश

विभाग के समसंख्यक आदेश सं. : एफ 55 (4) पीए/एसई/डीएलबी/10/व.जल पुनर्भ./2132-2390 दिनांक : 16.04.10 की निरन्तरता में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये जाते है :-

1. शहरी क्षेत्र में स्थित 300 वर्ग मीटर व उससे अधिक के क्षेत्रफल के भूखण्डो पर निर्मित/नये बनने वाले निजी भवनो में "वर्षा जल पुनर्भरण संरचना प्रणाली" (Roof Top Rain Water Harvesting Structure) बनवाया जाना सुनिश्चित करते हुये इन प्रावधानों को कड़ाई व प्रभावी तरीके से लागू किया जावे।
2. यह सुनिश्चित किया जावे कि शहरी क्षेत्रों में स्थित 300 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के भवनों/भूखण्डों का वर्षा जल सीवर लाईन में नहीं डाला जाये। उक्त भवनों का वर्षा जल सीवर लाईन में नहीं जाकर खुली नाला-नाली में बहाया जावे। ऐसे वर्षा जल एवं सड़कों, चौराहों व फुटपाथ क्षेत्र के वर्षा जल के संग्रहण/पुनर्भरण हेतु क्षेत्र के किसी निचले इलाकों (Low Lying Area) में स्थित खाली स्थान पर "वर्षा जल पुनर्भरण संरचना प्रणाली" (Storm Rain Water Harvesting Structure) का शहरी स्थानीय निकायों द्वारा निर्माण करवाया जावे।

CE(EAP)WH
SE-I(PAC)
3047
26/5/10
AE(15)

3. शहरी क्षेत्रों में स्थित सामुदायिक भवन के सम्पूर्ण [illegible] के भीतर, खाली पड़ी भूमि खेल मैदानों, प्रदर्शनी स्थलों इत्यादि के वर्षा जल के संग्रहण/पुनर्भरण हेतु इलाके के किसी उपयुक्त स्थान पर "वर्षा जल पुनर्भरण संरचना प्रणाली"(Storm Rain Water Harvesting Structure) का भी शहरी स्थानीय निकायों द्वारा निर्माण करवाया जाना सुनिश्चित किया जावे।

4. निजी भवनो में एवं खुले स्थानों के वर्षा जल के संग्रहण/पुनर्भरण के लिये "वर्षा जल पुनर्भरण संरचना प्रणाली"(Roof top & Storm Rain Water Harvesting Structure) निर्माण हेतु शहरी स्थानीय निकायों के लिये निम्नानुसार लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं :—

क्रम सं.	नाम शहरी स्थानीय निकाय	निजी भवनो में निर्मित की जाने वाली वर्षा जल पुनर्भरण संरचनाओं" (Roof Top Rain Water Harvesting Structure) की सं.	खुले स्थानों पर निर्मित की जाने वाली वर्षा जल पुनर्भरण संरचनाओं "(Storm Rain Water Harvesting Structure) की सं.	विशेष विवरण
01.	राजस्थान आवासन मण्डल	500	30	
02.	जयपुर विकास प्राधिकरण	50	30	
03.	नगर विकास न्यास (प्रत्येक)	25	10	
04.	नगर निगम, जयपुर	50	10	
05.	नगर निगम (अन्य प्रत्येक)	30	5	
06.	नगर परिषद (प्रत्येक)	20	3	
07.	नगर पालिका (जिला मुख्यालय) (प्रत्येक)	10	2	
08.	नगर पालिका (अन्य)	5	1	

5. उक्त आवंटित लक्ष्यों के अनुसार "वर्षा जल पुनर्भरण संरचना प्रणाली "(Roof Top & Storm Rain Water Harvesting Structure) का निर्माण मानसून आने से पूर्व हर स्थिति में 30 जून 2010 तक करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

उक्त कार्यो की निगरानी हेतु जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण के लिये आयुक्त, नगर विकास न्यास के लिये सचिव व नगर निकायों के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी को अधिकृत किया जाता है। "वर्षा जल पुनर्भरण संरचना "(Roof Top & Storm Rain Water Harvesting Structure) प्रणाली के निर्माण हेतु उक्त प्रावधानों को कड़ाई एवं प्रभावी तरीके से लागू करने के लिये तथा उपरोक्तानुसार लक्ष्यों

-को पूर्ण करने के लिये उत्तरदायी होंगे एवं उक्त प्रावधानों की सूचना प्रतिमाह नोड़ल अधिकारी को भिजवाई जावे।

जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण व नगर विकास न्यास के लिये उप शासन सचिव(प्रथम), नगरीय विकास विभाग व नगर निकायों के लिए सम्बन्धित क्षेत्रीय उप निदेशक को नोड़ल अधिकारी नियुक्त किया जाता है। नोड़ल अधिकारी द्वारा कार्य की सुपरविज़न, मोनेटरिंग व सूचना संकलित करेंगे। सम्बन्धित क्षेत्रीय उप निदेशक द्वारा संकलित की गई सूचनायें प्रतिमाह में निदेशालय स्थानीय निकाय को प्रेषित की जावेगी।

"वर्षा जल पुनर्भरण संरचना" (Roof Top & Storm Rain Water Harvesting Structure) प्रणाली के प्रावधान यदि लागू नहीं होते हैं, तो निगरानी के लिये जिम्मेदार अधिकारी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

(जी.एस.संधू)
प्रमुख शासन सचिव,
नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक: एफ 55 (4) पीए/एसई/डीएलबी/10/व.जल पुनर्भ./ 2278-2527 दिनांक : 17/05/10
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग,जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राज.जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
7. सम्भागीय आयुक्त (समस्त), राजस्थान।
8. जिला कलेक्टर्स (समस्त), राजस्थान।
9. उप शासन सचिव (प्रथम व द्वितीय), नगरीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
10. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिकायें, समस्त राजस्थान।
11. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राज. जयपुर।
12. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर।
13. समस्त अधिकारीगण, निदेशालय।
14. जनसम्पर्क अधिकारी, निदेशालय।
15. सुरक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव,
स्वायत्त शासन विभाग